

सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत, 28 घायल

मानवाधिकार आयोग ने स्कूल भवन गिरने का प्रसंज्ञान लिया

सोमवार से संसद में गतिरोध खत्म होगा?

मनोहरथाना के पिपलोदी में आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया व पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ीं

झालावाड़, 25 जुलाई (निंसे)। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है, और 28 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। शुक्रवार सुबह मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की इमारत ढह गई, जिसमें 35 बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

मनोहरथाना हॉस्पिटल के अनुसार, 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी, और 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुःख जताया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारजनों के साथ हैं।”

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया: “राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल में हुई दुर्घटना दुःखद और अत्यंत पीड़ादायक है। इस कठिन घड़ी

■ आठवीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि छत से छोटे पत्थर व रेत गिरने लगी. शिक्षकों को बताया तो उन्होंने डांट कर बैठा दिया और खुद बाहर बैठकर पोहे-जलेबी का नाश्ता करने लगे. तभी इमारत भरभरा कर गिर गई और 35 बच्चे दब गये।

■ आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक व घायल बच्चों के परिजनों को मुआवज़ा तथा भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही की माँग की। शिक्षा विभाग ने पाँच शिक्षकों को निलम्बित किया।

में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।”

पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, ग्रामीण सुबह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण कई रास्ते भी बंद किए गए। पिपलोदी गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर अधिक समय नहीं रुके तथा पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला।

गांव वालों ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी। प्रार्थना का समय हुआ

तो क्लासों के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने के बजाय कमरे में बैठा दिया गया, ताकि वे भीगें नहीं। इसके कुछ ही देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। गांव वालों ने बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के क्लासरूम में 71 बच्चे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन छत गिरने के वक्त बिल्डिंग से बाहर थे और सुरक्षित हैं। दुर्घटना के समय स्कूल में मौजूद आठवीं क्लास में पढ़ने वाली वर्षा ने बताया कि जब छत गिरी, उस समय वह भी क्लासरूम के अंदर बैठी हुई थी।

उसने देखा कि छोटे-छोटे पत्थर और रेत छत से गिरने लगे। उसने स्कूल में

मौजूद शिक्षकों को बताया कि पत्थर गिर रहे हैं तो शिक्षकों ने डांट –फटकार कर अंदर बैठ जाने को कहा और शिक्षक बाहर बैठकर पोहे और जलेबी का नाश्ता करने लगे। इसी बीच इमारत भरभरा कर गिर गई और बच्चे दब गए।

आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के समीप मुख्यमार्ग के गुराड़ी चौराहे पर टायर जलाकर जाम लगा दिया तथा रास्ते पर विद्युत पोल डाल दिए और चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोग एक करोड़ मुआवज़ा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस हादसे में जिन बच्चों की जान गई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ और घायल बच्चों के परिजनों को 50 लाख का मुआवज़ा मिलना चाहिए। इसके अलावा, मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई। ग्रामीणों ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।

एक बार तो प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, ड्राइवर गाड़ियां (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई 28 जुलाई को

जयपुर, 25 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई सोमवार 28 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान, शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले की “इन-कैमरा” सुनवाई की। इस दौरान केस से जुड़े वकीलों के

■ हाई कोर्ट में आरपीएएससी सचिव से सवाल जवाब हुए।

अलावा अन्य किसी को अदालत कक्ष में रुकने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं, अदालत आदेश की पालना में आरपीएएससी के सचिव पेश हुए। अदालत ने उनसे भर्ती को लेकर सवाल –जवाब किए।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में बौते कई दिनों से प्रकरण में सुनवाई चल रही है। मामले में याचिकाकर्ता कैलाश चन्द शर्मा व अन्य का कहना है कि भर्ती परीक्षा का पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ है और कई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र की विधानसभा सीटें बढ़ाने की याचिका खारिज की

इन राज्यों ने माँग की थी, कि कोर्ट केन्द्र सरकार को परिसीमन शुरु करने के लिए निर्देश दे

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 25 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। यह रिट याचिका प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केन्द्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश

■ याचिकाकर्ता राज्यों का तर्क था कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन कराना तथा आंध्र व तेलंगाना को इससे बाहर रखना अविवेकपूर्ण, असंगत व संविधान विरुद्ध है।

■ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में परिसीमन के नियम अलग हैं, इसलिए जम्मू-कश्मीर के साथ आंध्र व तेलंगाना में परिसीमन नहीं करना केन्द्र सरकार का पक्षपात पूर्ण कदम नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में ही विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करना, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इससे बाहर रखना, असंगत तथा अविवेकपूर्ण वर्गीकरण है और इसलिये यह संविधान के विरुद्ध है।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से की गई

तुलना तथा भेदभाव की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान अलग है, और इसलिए जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण।

धनखड़ को विदाई भोज देगा विपक्ष

नई दिल्ली, 25 जुलाई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई, 2025) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपतिद्रोपदी मुर्मूको अपना त्याग पत्र भेजकर तत्काल पद छोड़ने की बात

■ पर, धनखड़ विपक्ष का न्यौता स्वीकार करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है।

कही थी। उनके इस अचानक लिए गए फैसले ने सत्ता पक्ष और विपक्ष में सभी को चौंका दिया।

इस बीच विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर के लिए आमंत्रित किया है। विपक्षी दलों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“उदयपुर फाइल्स” को सशर्त रिलीज़ की अनुमति मिलेगी? केन्द्रीय सरकार ने पिक्चर को पुनः देखकर कुछ परिवर्तन की सलाह दी थी

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 25 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह हिंदी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार से सुनवाई शुरू करे।

यह निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के साथ फिल्म की रिलीज़ की अनुमति देने के बाद दिया गया। फिल्म उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की दिन दहाड़े की गई नृशंस हत्या पर आधारित है, जिसमें उन्हें भाजपा नेताओं के भाषणों पर आधारित नारे लगाते हुए दिखाया गया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका रखें, क्योंकि फिल्म निर्माता केन्द्र सरकार के आदेश

से संतुष्ट हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां बहस कीजिए और फिर ज़रूरत हो तो यहां आइए। अब फिल्म निर्माता कह रहे हैं कि वे संतुष्ट हैं और याचिका वापस लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी हाईकोर्ट जाइए। हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?”

फिल्म की रिलीज़ के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई थीं। फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई थी और केन्द्र सरकार को इसकी पुनः समीक्षा करने के लिए कहा गया था।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फिल्म की जांच करने की अनुमति दी। इसके तहत निपुक्त एक पैनल ने

- ये परिवर्तन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर को पुनः हाई कोर्ट जाने के आदेश दिये।
- पिक्चर की रिलीज़ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मदनी ने इस सशर्त रिलीज़ को भी चुनौती देने की बात कही है।
- फिल्म में प्रोड्यूसर के अधिवक्ता ने पिक्चर के खिलाफ और आगे स्थगन आदेश देने का विरोध किया।
- अधिवक्ता के अनुसार, मदनी सुपर सेंसर जैसे व्यवहार कर रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कांत ने इस पर कटाक्ष किया कि प्रोड्यूसर को लाभ ही हो रहा है, मुकदमा चलते रहने से, उसकी पिक्चर को पब्लिसिटी ही मिल रही है।

कुछ संशोधन सुझाए, जिनके बाद सरकार ने रिलीज़ को मंजूरी दी।

फिल्म के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैयालाल हत्या मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिकाएं दायर की थीं।

अब उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने की घोषणा की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (मदनी की ओर से) और मेवका गुरुखामी (जावेद की ओर से) ने कहा कि वे इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

ज्ञातव्य है कि कन्हैयालाल की जून 2022 में दो लोगों ने हत्या कर दी थी, जब उन्होंने भाजपा नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान का समर्थन करते हुए एक वॉट्सएप स्टेटस डाला था।

‘उदयपुर फाइल्स’ को पहले 11

जुलाई को रिलीज़ किया जाना था। रिलीज़ से कुछ दिन पहले मौलाना मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, उन्होंने कहा कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई, ताकि सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग कर सके।

इस रोक को चुनौती देते हुए फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर से हाईकोर्ट को सौंप दिया है।

फिल्म निर्माता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने आगे कोई रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा: “सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसी रोक को हटाता रहा है। क्यों फिर से रोक लगे? (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करते हुए शुक्रवार को संसद भवन

■ इसमें मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी, प्रियंका साहित कई बड़े नेता शामिल हुए और इन्होंने बिहार मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ नारे लगाए।

परिसर में मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से संसद भवन के ‘मकर द्वार’ तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता एवं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

विजय गर्व और प्रतिष्ठा के साथ आती है पर यदि उसकी रक्षा पौरुष के साथ न की जाय तो अपमान का ज़हर पिला कर चली जाती है। –मुक्ता

देश व लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग केवल सक्रिय ही नहीं, किंतु निष्पक्ष भी हो और ऐसा दिखे भी

लगभग निम्न आशय की बात चुनाव आयोग के हवाले से प्रिंट, टीवी व सोशल मीडिया में घूम रही है :--
--
पर उठाए जा रहे बेबुनियादी सवालो से डरकर, चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर --
1. मरे हुए मतदाताओं
2. स्थाई तौर से प्रवास के गए मतदाताओं
3. दो जगह वोट बनवा चुके मतदाताओं
4. फर्जी मतदाताओं
5. विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी बात डालने वाले लोगों को पहले बिहार में और फिर पूरे देश में, संविधान के विरुद्ध जाकर बात डालने की अनुमति दें???

चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित एक शक्तियुक्त आयोग है जिस पर देश में निष्पक्ष चुनाव करने का बहुत बड़ा दायित्व है। राजनीतिक दलों को भी बिना बात उसकी गरिमा को बेवजह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, यह बात तो सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी मानेगा।

किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि चुनाव आयोग भी पूर्ण निष्पक्षता से अपना दायित्व निभाए।

कौन इस से असहमत होगा कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटे। यह रूटीन एक्सरसाइज चुनाव आयोग नियमित रूप से करता आया है, किसी ने प्रश्न उठाया क्या कि ऐसा नहीं किया जाए?? तो फिर यह प्रश्न ही क्यों??

इसी प्रकार जिन मतदाताओं का नाम दो जगह मतदाता सूचियों में है उनका नाम एक जगह से विलोपित होना चाहिए किन्तु ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह किस स्थान पर मतदान करना चाहता है?? क्या नहीं हो ऐसा?? जिन लोगों को रोजी-रोटी व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों जगह रहना पड़ता है जैसे कि अल्पायुभोगी दिहाड़ी काम वाले लोग, किसान – मजदूर आदि। सामान्य बुद्धि तो कहती है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करते वक़्त ऐसे चिन्हित लोगों को अवसर दें कि वे कहां के मतदाता रहना चाहते है? केवल बीएलओ के द्वारा भरे या भराये गए गणना पत्र के आधार पर नाम काग़ज़ा सरासर अन्याय होगा और चुनाव आयोग की साख़ भी कुछ तो कम होगी ही, चुनाव आयोग माने या न माने।

इसी प्रकार जिन मतदाताओं में स्थाई तौर पर पुराना निवास छोड़ कर नई जगह रहना शुरू कर दिया उनका नाम भी हटना चाहिए और मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोधी नहीं किया है। किंतु ऐसे मामलों में पूर्णत: निष्पक्ष रूप से जांच तो होनी चाहिए कि यह तथ्य सही है या BLO की लापरवाही है या कहीं BLO या BLA की मिलीभगत तो नहीं है, किसी दूसरे पक्ष के वोटर्स का नाम कटवाने की???

हर चुनाव के बाद पोलिंग बुथ के बाहर ऐसे व्यक्ति शिकायत करते मिलते है कि पहले उसका नाम था अब नहीं, क्यों??

और अब आयोग के द्वारा, मतदाता सूचियों में से फर्जी व विदेशी मतदाताओं के हटाने की बात पर विचार करे। शायद ही कोई असहमत होगा कि फर्जी व विदेशी लोगों के नाम मतदाता सूचियों में से हटने चाहिए? प्रश्न यह है कि आयोग ने यह प्रश्न पूछा क्यों? सबसे पहले आयोग ही स्पष्ट करे कि फर्जी और विदेशी मतदाताओं की पहचान कैसे की? ऐसे लोगों की सूची जारी करे जिन्हें आयोग फर्जी या विदेशी मानता है और उसके आधार बताए।

ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में, निम्न कारणों से होना संभव है :--
की निष्क्रियता, लापरवाही के कारण या फिर BLO और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत हो। यह मिली भगत पहले संभव थी तो अब भी हो सकती है। बहुत से लोगों को झुटमूट मृत बताया जा सकता है, निवास छोड़कर अन्यत्र बसाना बताया जा सकता है।

इसलिए आयोग को आगामी एक माह में ऐसे समस्त लोगों जिन्हें मृत या निवास छोड़ गए बात रहे है, उनकी बुधवार सूची बुथ पर, पंचायतों में, पटवारियों के पास, तहसील कार्यालयों में व पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जिन को आपत्ति हो वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।

जो समाचार है उनके अनुसार, आयोग को ज्ञात हुआ है कि विदेशी व फर्जी मतदाताओं के वोट दूसरे लोग डालते है। यह तो अत्यंत ही गंभीर बात आयोग में बताई है। फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदेह के घेर में आ जाएगी?

अगर आयोग के हवाले से छपी खबर सही है तो फिर आयोग को पता है कि किन फर्जी व विदेशियों के वोट कौन डालता-डलवाता है???? फिर तो आयोग विस्तृत सूचनाएं देश के सामने आने दे।

चलते-चलते, आम आदमी की जिज्ञासा है कि कौन देश का नागरिक कोन विदेशी, इसकी पहचान कौन दफ़्तर कौन अधिकारी करते हैं? नागरिक होने का प्रमाण पत्र लेना हो तो चुनाव कार्यालय में दरखास्त दें या अब जो वोटरलिस्ट जारी करेगा आयोग वही प्रमाण पर्याप्त होगा नागरिकता दिखाने के लिए। वैसे कानून जानने वाले लोग मानते है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच का अधिकार नहीं। अब यह सही है या नहीं यह तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार या चुनाव आयोग जाने।

यों ही, एक बात सुनते आए है कि न्याय हो यही पर्याप्त नहीं, न्याय होता दिखना भी चाहिए। एक न्यायाधिकारी के सामने मुकदमा पेश होने के बाद सभी पक्षकारों और उनके पैरवी कर्ताओं को सुना जाता है। फैसले में सारी बातें विस्तार से लिखी जाती है। जो भी कानून के बातें कही जाती है वे लिखी जाती है। इन सभी पर न्यायाधीकारी अपना मत व्यक्त कर फैसला देता है। इस से न्याय हुआ दिखता है। फैसला तो यों भी हो सकता है कि सब को सुनने के बाद यह मानता हूं कि यह यह बात सही है और यह आदेश दिया जाता है ----? नहीं? किंतु नहीं क्यों कि ऐसा करने से न्याय होता दिखता नहीं।

अल्पज्ञानि सामान्य आदमी का तो मानना है कि यह बात चुनाव आयोग भी लागू होती है। चुनाव आयोग कोई छोटे अधिकारियों का दफ़्तर नहीं जहां कोई गलती कर दे तो ऊपर के दफ़्तरों में जाने के रास्ते है। यदि चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम बिना पूर्ण- विस्तृत जांच के नाम काटी दे तो लोकतंत्र में इस से घातक और क्या बात होगी??

चुनाव आयोग का सम्मान होना ही चाहिए किंतु इसके लिए आयोग को भी निष्पक्ष दिखना ही होगा।

–अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह, पूर्व आइ ए एस

 राशिफल
शनिवार 26 जुलाई, 2025
 सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत २०८२, आश्लेषा नक्षत्र दिन ३:५२ तक, व्यतिपात योग रात्रि ४:०६ तक, बालव करण दिन ११:०२ तक, चन्द्रमा आज दिन ३:५२ से सिंह राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्तति, सिंजारा, अश्वत्थ मारूती पूजन, व्यतिपात पुण्य है। आज शुक्र मिथुन राशि में प्रातः ८:५६ पर प्रवेश करेगा। श्रेष्ठ चौचड़िया: शुभ ७:३२ से ९:१२ तक, चर १२:३३ से २:१४ तक, लाभ-अमृत २:१३ से ५:३४ तक। राहुकाल: ९:०० से १०:३० तक। सूर्योदय ५:५२, सूर्यास्त ७:१४



अर्पिता माथुर

क्या हम सच में चौंद पर पहुँच गए है या अब भी पुरानी सोच में जकड़े है?। “सोचिए, जिस लड़की ने तीन साल पहले अपने सपनों की शादी की थी, वही दहेज के बोझ से दबकर अपनी जान दे बैठी।”

राजस्थान के जयपुर में हाल ही में दो विवाहित महिलाओं की मौत की खबर आई। वैशाली नगर में तीन साल पहले लव मैरिज करने वाली महिला ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर श्याम नगर में एक और विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई जहाँ पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। ये घटनाएँ चौकता है और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में चौंद पर पहुँच गए है या अब भी पुरानी सोच में जकड़े

कारगिल युद्ध : भारतीय सेना और सैनिकों की गौरव गाथा



डॉ. जे.के. गर्ग

निरसिंह कारगिल संघर्ष दुनियांभर के पहाड़ी इलाकों में अत्याधिक ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाईयों में से एक लड़ाई है। कारगिल संघर्ष परमाणु वम शक्ति सम्पन्न भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ पहला सशस्त्र युद्ध था। जहाँ १९६५ में हम लाहोर तक पहुंच गये और पाकिस्तान के हॉसले पस्त कर दिए थे इस युद्ध की परिणीती तास्क्द समझोते में हुई थी, वहीं १९७१ में पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित करके एक नये राष्ट्र बंगलादेश को जन्म दिया था। यह युद्द इंदिराजी जी के विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण था, वहीं बीसवीं शदी की निर्णायक एकमात्र युद्ध भी था जिसमें ९३००० से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर भारतीय सेना के गौरव को उज्ज्वलम शिखर पर पहुंचा कर विजय पताका फहरा कर तिरों की शान बढ़ाई थी।

कारगिल युद्ध को मोटे तौर पर

है?। और भी कई ऐसी घटनाओ ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम चाहे चौंद तक पहुँच जाए लेकिन समाज की कुछ रीति-रिवाजों का बोझ जीवन भर सहना पड़ेगा। वैसे रीति-रिवाजों के विरोध में नहीं हूँ मैं लेकिन कुछ रीति-रिवाजों का अपना ऐतिहासिक महत्त्व रहा है, बस समाज ने बिना ज्ञान के अपनी मानसिकता के बल पर अन्य प्रकार से उन्हें ग्रहण किया है और अब आने वाली पीढ़ी पर थोप रहे है।

न केवल भारत में बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में भी दहेज प्रथा का लम्बा इतिहास है। भारत में इसके और भी कई नाम है जैसे हूँडा या वर-दक्षिणा। इतिहास में इसे एक परम्परा के रूप में देखा जाता था जिसका ऐतिहासिक सन्दर्भ कई लेखों और चित्रों में भी मिलता है। जिसे यहाँ प्रदर्शित करना एक नयी बहस शुरू कर देगा। क्योंकि मेरा और मेरे जैसे कितने पत्रकारों का यही मकसद रहने वाला है कि इस प्रथा को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाये न कि जंग से प्रस्तुत किया जाए... खैर.. भारत में दहेज, भले ही वर्ष १९६१ से दहेज निषेध अधिनियम के तहत अवैध घोषित है, फिर भी इसे आज भी एक सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जाता है। वधू यानि लड़की के परिवार द्वारा नक्रद या वस्तुओं के रूप में यह वर यानि लड़के के परिवार को दिया जाता है। कई परिवार इसे विवाह का ज़ररी हिस्सा मानते है और अक्सर इसे उपहार का नाम

देकर रूप में ढाब दिया जाता है। समाज में अभी भी ये मानसिकता नजर आती है जहाँ उस लड़की की अहमियत उसके जीवन की उपलब्धियों से नहीं, उसकी शिक्षा से नहीं, उसके संस्कारों से नहीं नापी जाती है, बल्कि वह कितना दहेज लेकर आई, इससे तय की जाती है। और इसी दबाव के कारण परिवार दहेज की मांगों को पूरा करने के लिये मजबूर हो जाते है, और यही मजबूरी बन जाती है बेटियों की जिन्दगी का कलंक उरपीड़न, हिंसा और मौत के रूप में। कुछ बेटियां संस्कारों और माता पिता के सम्मान को बचाने के बोझ तले पूरी जिन्दगी गुजार देती है।

आँकड़ों की बात की जाए तो साल २०१७ से २०२२ के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल औसतन ७,००० दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुई। वैसे में ये कहूँगी की के आँकड़े अपवादित भी हो सकते है क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है उसकी तरफ एक इशारा है। वहीं दहेज के लिए तंग करने पर कानून सख्त सज़ा देता है जैसे धारा ४९८ -ए: अगर पति या उसके घरवाले दहेज की मांग करके पत्नी को परेशान करें, तो उन्हें ३ साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है।

धारा ४०६: अगर पत्नी का गहना या उसका सामान वापस नहीं करते, तो ३ साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सें।

देकर रूप में ढाब दिया जाता है। समाज में अभी भी ये मानसिकता नजर आती है जहाँ उस लड़की की अहमियत उसके जीवन की उपलब्धियों से नहीं, उसकी शिक्षा से नहीं, उसके संस्कारों से नहीं नापी जाती है, बल्कि वह कितना दहेज लेकर आई, इससे तय की जाती है। और इसी दबाव के कारण परिवार दहेज की मांगों को पूरा करने के लिये मजबूर हो जाते है, और यही मजबूरी बन जाती है बेटियों की जिन्दगी का कलंक उरपीड़न, हिंसा और मौत के रूप में। कुछ बेटियां संस्कारों और माता पिता के सम्मान को बचाने के बोझ तले पूरी जिन्दगी गुजार देती है।

आँकड़ों की बात की जाए तो साल २०१७ से २०२२ के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल औसतन ७,००० दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुई। वैसे में ये कहूँगी की के आँकड़े अपवादित भी हो सकते है क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है उसकी तरफ एक इशारा है। वहीं दहेज के लिए तंग करने पर कानून सख्त सज़ा देता है जैसे धारा ४९८ -ए: अगर पति या उसके घरवाले दहेज की मांग करके पत्नी को परेशान करें, तो उन्हें ३ साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्यभर में “बर्तन बैंक” बड़ी पहल बना



विधवा, एससी, एसटी जैसे वर्गों के लिए आधा किराया माफ़ कर सकती है। राज्य में अजमेर जिले में २७, अलवर में ३०, बालोतरा २७, बांसवाड़ा ३०, बांग में २४, बाड़मेर में ३०, ब्यावर में १८, भरतपुर में २१, भीलवाड़ा में ३०, बीकानेर में २७,

बूंदी में १५, चित्तौड़गढ़ में ३०, चूरू में २१, दौसा में ३०, डींग में १५, धौलपुर २०, डोडवाना-कुचामन में २१, दूंगरपुर में ३०, श्रीगंगानगर में २७, हनुमानगढ में २१, जयपुर में ३०, जैसलमेर में २१, जालौर में ३०, झुंझुनूं में ३०, झालावाड़ में २४, जोधपुर ३०,

जयपुर जिले के सफल संचालन से समुदायिक स्वच्छता के प्रति नई चेतना आई है। गरीब परिवारों को भी टैट किराये से राहत मिली है। शदी समारोह में टैट किराये में लगने वाला हजारों रूपये का खर्च बचने से बड़ी राहत मिली है, कचरे के ढेर, दुर्गंध, पर्यावरण क्षण का कुछ हद तक समाधान हुआ है। जिले की पंचायत समिति सेवर में ग्राम पंचायत हथैनी, जधीना और जाटौली रथवान, पंचायत समिति भुसावर की बल्लभगढ, निठार और पथैना, उच्चैन की भैसा, पिचुना और सहना, वैर की समराया, सरसैना और पाली, रूपवास की

सकते है। धारा ३०४-बी: अगर शादी के ७ साल के अंदर दहेज की वजह से महिला की संदिग्ध मौत हो जाए, तो ७ साल से लेकर उन्प्रेकद तक की सज़ा हो सकती है। हालांकी दहेज का विवाह के साथ अटूट संबंध है लेकिन दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ का अनुच्छेद ३ निर्दिष्ट करता है कि दहेज देने या लेने का दंड उन उपहारों पर लागू नहीं होता है जो दूल्हा या दूल्हन को शादी के समय दिए जाते है जब उनकी कोई मांग नहीं की जाती है।

गॉव हो या शहर, अमीर हो या गरीब – दहेज प्रथा को जड़ें बहुत गहरी है जिसका दूसरा छोर दूँहने से भी नहीं मिलेगा। जहाँ एक और महिलाओं को अब भी यानि मॉडर्न समाज में दहेज के लिये उल्टीड़न, मारपीट और आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जाँच प्रक्रियाएँ इतनी लंबी होती है की दोषियों को सजा मिलना और बेक़रूर को न्याय मिलना ऊँट के मुँह में जीरा मिलने समान है। सबसे बड़ी समस्या तो सोच की ही है. बेटों को आज भी ‘परया धन’ समझा जाता है। वहीं दिखावा और समाज में ‘स्टेटस मेन्टेन’ करने की होड़ मची है । अपराधियों में कानून का डर ही नहीं है क्योंकि कई केस दबा दिए जाते है या रिपोर्ट नहीं होते। अपराधियों के हॉसले और बुलंद हो जाते है। कुल मिलाकर समस्या समाज की मानसिकता में है। दोनों पक्षों को अपना अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ाना है चाहे आतंरिक स्थिति

सोना प्रत्यक्ष रूप मेंडंस युद्ध में शामिल थी। कारगिल- ठाूस सेक्टर में हुए संघर्ष में लगभग ३००० भारतीय सैनिकों ने भाग लिया वहीं पाकिस्तान के नियमित सैनिकों के अलावा करीब ५००० घुसफ़ेटीयें ने भी पाक सैनकों की मदद की थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में बोफोर्स तोपों का प्रयोग किया इन तोपों ने दुश्मनों पर कहर बरपा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत कठिन भौगोलिक परिस्थतियों के बावजूद थल सैनिकों की सहायता की थी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत पाकिस्तानी बंदरगाहों विशेषतया कराची बंदरगाह की नाके बंदी नहीं मिल सके। भारतीय नौसेना की उत्तरी एवं पश्चिमी फ्लीट ने उत्तरी अरब सागर के क्षेत्र में आक्रमक पेट्रोलिंग कर पाकिस्तान के समुद्रीय व्यापार के लिये गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर उसके सामुद्रिक व्यापार को क्षति पहुंचाई। इस लड़ाई में भारतीय सेना के तीनों अंग थल,वायु एवं नौ सेना परस्पर अनुकरणीय समन्वय का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में भी हमें विजयी प्राप्त हुयी। युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद में पाकिस्तान ने दावा किया उसके मात्र ३७५ सैनिक ही मारे गए हैं लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि पाक के तकरीबन चार हजार सैनिक करगिल संघर्ष में मारे गए हैं। भारतीय

सेना के मुताबिक ५४३ अफसर और जवान शहीद हुए जबकि करीब १३०० जख्मी हुए। मजहज भारतीय सैनिक को युद्ध बंदी बनाया गया था। कारगिल संघर्ष के समय जहाँ अमेरिका के पाकिस्तान को नियन्त्रण रेखा के उल्लघन का दोषी माना था वहीं ८ देशों, यूरोपियन यूनियन एवं के क्षेत्रीय संघटन ने भी पाकिस्तान की आलोचना कर संघर्ष समाप्त करने एवं नियन्त्रण रेखा के उल्लघन को रोक कर संघर्ष के पूर्व वाली स्थिती पर लोटने को कहा। अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन और नवाज शरीफ के संयुक्त व्यक्तय में नियन्त्रण रेखा का सम्पन्न करते हुए भारत- पाकिस्तान के विवादों को बातचीत से शांतीपूर्ण तरीकों से सुलझाने को कहा। चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने बचे हुए पाकिस्तान के सैनिकों को भारतीय सीमा के अन्दर वाले क्षेत्र से पीछे हट जाने का आदेश दिया। भारत की विजय के साथ २६ जुलाई १९९९ को संघर्ष समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष २६ जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज भारत में इस कारगिल युद्ध के दौरान अद्वुत राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना देखने को मिली थी। वहीं पाकिस्तान की पराजय के कारण पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़

गई जिसकी परिणति में नवाज़ शरीफ निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर वहां की सेना के प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ राष्ट्रपति बन गए। कारगिल युद्ध के अनेकों शूरवीर बहादुर एवं फोलादी इरादों वाले जवानों में अजुक्त नायक, विक्रम बत्रा एवं योगेन्द्र यादव तो प्रमुख हैं ही, भारत को उनके और उनके साथियों की वीरता तथा फोलादी देश भक्ति के इरादों से युद्ध में निर्णायक विजयश्री मिली थी। इस लड़ाई में मुब्छा विजय टाईगर हिल्स पर कब्ज़े पर थी।

कारगिल युद्ध के उपरोक्त नायकों के अतिरिक्त कारगिल संघर्ष के अन्य हीरों यथा कैप्टिन जेरी प्रेमराज, कैप्टिन शशि भूषण घडियाल, सुबेदार मुशनाथ सिंह एवं हवलदार सीसरमन गिल के योगदान को भी समूचा राष्ट्र हमेशा याद रक्खेगा। कारगिल विजय पर के २५वीं वर्ष गांठ के मोके पर समूचा भारत कारगिल संघर्ष के समस्त शहीदों को शत: शत: नमन करता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को सलाम भी। समूचा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस के मोके पर भारत की अखंडता परतिरछी नजर रखने वालों को कड़ी चेतावनी देता है कि वे अपनी नापाक हकतों से बाज आयां। जय हिंद जय किसान जय जवान। भारत का बच्चा करें उनका सम्मान और सलाम।

–डॉ. जे.के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक
कॉलेज शिक्षा जयपुर

 कन्या
आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।
मौन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में मार्गलिक-धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

